संख्या-27/2022/525 /58-1-21-2/3(9)/12

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-14-समन्वित बाल विकास परियोजना-1401-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 07-मानदेय" में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1082/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 02 मार्च, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-14-समन्वित बाल विकास परियोजना-1401-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 07-मानदेय" में रू0 8000.00 लाख (रू0 अस्सी करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार आहरित की जायेगी ।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(7) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-14-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1